

चौथी अनुसूची

[धारा 127(क) देखिए]

भाग 1

केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

5 (1) अध्याय 21 में, टिप्पण 3 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘3. इस अध्याय में “पान मसाला” से ऐसी निर्मिति अभिप्रेत है जिसमें सुपारी और निम्नलिखित एक या अधिक रचक हैं, अर्थात् :—

(i) चूना ; और

(ii) कत्था (कटेचू),

किन्तु उनमें तंबाकू नहीं है, चाहे उनमें कोई अन्य रचक, जैसे कि इलाइची, खोपरा और मेन्थाल है या नहीं ।’;

10 (2) अध्याय 24 में, टिप्पण 5 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

‘6. इस अध्याय में, “पान मसाला, जिसमें तंबाकू है, ”, जिसे सामान्यतया “गुटखा” कहा जाता है, से ऐसी निर्मिति अभिप्रेत है जिसमें सुपारी और निम्नलिखित एक या अधिक रचक हैं, अर्थात् :—

(i) चूना ; और

(ii) कत्था (कटेचू),

15 चाहे उनमें कोई अन्य रचक, जैसे कि इलाइची, खोपरा और मेन्थाल है या नहीं ।’ ;

(3) अध्याय 27 में,—

(i) टिप्पण 9 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

‘10. शीर्ष सं. 27.11 के अंतर्गत आने वाली प्राकृतिक गैस के संबंध में, ईंधन के रूप में या किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्राकृतिक गैस को संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी.एन.जी.) के रूप में विपणन के प्रयोजन के लिए प्राकृतिक गैस के संपीड़न की प्रक्रिया (यद्यपि इसके अंतर्गत तरलीकरण अंतर्वलित नहीं है) विनिर्माण की कोटि में आएगा ।’ ;

20

(ii) उपशीर्ष सं. 27.11.21 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “16%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(4) अध्याय 34 में, उपशीर्ष सं. 3406.10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “16%” प्रविष्टि रखी जाएगी;

(5) अध्याय 48 में, उपशीर्ष सं. 4819.12 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “16%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(6) अध्याय 52 में, टिप्पण 3 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

25

‘4. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, “डेनिम” से 3-धागा या 4-धागा ट्वील के विभिन्न रंगों के सूतों के फैब्रिक अभिप्रेत हैं ‘जिनके अंतर्गत भंजित ट्वील, ताना प्रधान है जिनके ताना सूत एक और समान रंग के हैं और जिनके बाना सूत अविरंजित, विरंजित, धूसर रंजित या ताना सूत के रंग की अपेक्षा हल्के रंग में रंगे हैं ।’ ;

(7) अध्याय 62 में,—

(i) टिप्पण 2 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

30

‘3. इस अध्याय के किसी उत्पाद के संबंध में, “ब्राण्ड नाम” से ऐसा कोई ब्राण्ड नाम, चाहे रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, अर्थात् कोई नाम या चिह्न जैसे प्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या आविष्कृत शब्द या कोई लेख अभिप्रेत है, जो किसी उत्पाद के संबंध में व्यापार के अनुक्रम में उत्पाद और ऐसे किसी व्यक्ति के, जो उस व्यक्ति की पहचान के किसी संकेत से या उसके बिना उस नाम या चिह्न का प्रयोग कर रहा है, संबंध को उपदर्शित करने के प्रयोजनों के लिए प्रयोग किया जाता है या जिससे ऐसा उपदर्शित होता है ।

4. इस अध्याय के किसी उत्पाद के संबंध में, उत्पाद को उपभोक्ता के लिए विपणनीय बनाने के लिए उत्पाद पर कोई ब्राण्ड नाम लगाना, इसके आधारों पर लेबल लगाना या पुनः लेबल लगाना और प्रपुंज पैकों से खुदरा पैकों में पुनः पैकिंग करना या कोई अन्य अभिक्रिया अपनाना विनिर्माण की कोटि में आएगा ।’ ;

35

(ii) उपशीर्ष सं. 6201.00 और 6202.00 में, स्तंभ (4) में उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली प्रविष्टि के स्थान पर, “16%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(8) अध्याय 64 में, उपशीर्ष सं. 6401.12 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “16%” प्रविष्टि रखी जाएगी;

(9) अध्याय 71 में, उपशीर्ष सं. 7101.50 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “16%” प्रविष्टि रखी जाएगी;

(10) अध्याय 85 में, उपशीर्ष सं. 8539.10 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “16%” प्रविष्टि रखी जाएगी;

40

(11) अध्याय 87 में,—

(i) टिप्पण 3 के स्थान पर, निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, अर्थात् :—

‘3. इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, शीर्ष सं. 87.06 के अंतर्गत आने वाली चेसिस पर कोई बाड़ी बनाना या गढ़ना या आरोपण करना या संरचना या उपस्कर फिट करना मोटर यान के “विनिर्माण” की कोटि में आएगा ।’ ;

(ii) शीर्ष सं. 87.07 में, उपशीर्ष सं. 8707.00 में, स्तंभ (3) में की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

45

“शीर्ष सं. 87.01 से 87.05 के मोटर यानों के लिए बाड़ी (जिसके अंतर्गत कैब भी हैं)” ;

(12) अध्याय 90 में, उपशीर्ष सं. 9004.90 में, स्तंभ (14) में की प्रविष्टि के स्थान पर “16%” प्रविष्टि रखी जाएगी;

(13) अध्याय 96 में, उपशीर्ष सं. 9603 में, स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर “16%” प्रविष्टि रखी जाएगी;

भाग 2

शीर्ष सं०	उपशीर्ष सं०	माल का वर्णन	शुल्क की दर	
(1)	(2)	(3)	(4)	
केंद्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,—				
(1)	अध्याय 24 में, उपशीर्ष सं. 2404.40 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—			5
	"- खाने का तंबाकू और निर्मितियां जिनमें खाने का तंबाकू है ;			
	पान मसाला जिनमें तंबाकू है:			
2404.41	— खाने का तंबाकू और निर्मितियां जिनमें खाने का तंबाकू है		16%	
2404.49	— पान मसाला जिनमें तंबाकू है		16% [#] ;	
(2)	अध्याय 52 में,—			10
(i)	उपशीर्ष सं. 5207.10, 5207.21, 5207.22, 5207.23 और 5207.29 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—			
"5207.10	- डेनिम फैब्रिक, चाहे प्रसंस्कृत किए गए हों या नहीं		16%	
5207.20	- अन्य फैब्रिक जिन पर कोई प्रक्रिया नहीं की जाती है		16%	
	- अन्य फैब्रिक जिन पर विरंजन, मरसरीकरण, रंगाई, छपाई, जलरोधी, आर्गेन्डी प्रक्रिया या कोई अन्य प्रक्रिया या इन प्रक्रियाओं में से कोई एक या अधिक प्रक्रियाएं की जाती हैं :			15
5207.31	— विरंजित व्यूतित फैब्रिक		16%	
5207.32	— रंजित व्यूतित फैब्रिक		16%	
5207.33	— छापित व्यूतित फैब्रिक		16%	
5207.39	— अन्य व्यूतित फैब्रिक		16% [#] ;	
(ii)	उपशीर्ष सं. 5208.10, 5208.21, 5208.22, 5208.23 और 5208.29 और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—			20
"5208.10	- डेनिम फैब्रिक, चाहे प्रसंस्कृत किए गए हों या नहीं		16%	
5208.20	- अन्य फैब्रिक, जिन पर कोई प्रक्रिया नहीं की जाती है		16%	
	- अन्य फैब्रिक जिन पर विरंजन, मरसरीकरण, रंगाई, छपाई, जलरोधी, आर्गेन्डी प्रक्रिया या कोई अन्य प्रक्रिया या इन प्रक्रियाओं में से कोई एक या अधिक प्रक्रियाएं की जाती हैं :			25
5208.31	— विरंजित व्यूतित फैब्रिक		16%	
5208.32	— रंजित व्यूतित फैब्रिक		16%	
5208.33	— छापित व्यूतित फैब्रिक		16%	
5208.39	— अन्य व्यूतित फैब्रिक		16% [#] ;	